REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258326 CG-DL-E-29102024-258326

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4345] No. 4345] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4721(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा-10	सिवोक – रांगपो खंड	52.10 किमी
	(पश्चिम बंगाल राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/12/22024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

S.O. 4721(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway	Section	Stretch in kilometers
number		
(1)	(2)	(3)
	Sevoke - Rangpo Section (In the State of West Bengal)	52.10 Km.

[F. No. NH-14013/12/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4722(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

(1)	(2)	(3)
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2बी, (बर्दवान किमी 0.00 से किमी 105.86 मोल्लारपुर), सं. 31 [किमी	पश्चिम
	447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (सिलीगुड़ी के निकट	बंगाल राज्य सरकार"
	डलकोला से घोषपुकुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से	(1)(9)()
	किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी	
	452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक का खंड और	
	रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर पांडेश्वरा – दुबराजपुर – सूरी –	
	रामपुरहाट – नलहाटी को जोड़ते हुए और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर	
	समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 22.76 से किमी	
	137.68 (जोका से बखाली) तक)], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी,	

नई रारा सं. 218, नई रारा सं. 131ए, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 10 [भारत/बांगलादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिबमंदिर, मेडिकल मोड़ खंड)], नई रारा सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई रारा सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से रारा 31सी पर पानी टंकी मार्किट पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 419, नई रारा सं. 512 और नई रारा सं. 717 (मैनागुड़ी – चांगराबंधा – भारत/बांगलादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/12/2024-पी ऐंड एम]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-3910(अ), तारीख 12 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

S.O. 4722(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE				
(1)	(2)	(3)		
"25	So much of National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 Km. to Mollarpur 105.86 Km.), No. 31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No.34 (excluding from Km. 31.00 (Barrasat) to Km. 452.70 (Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara – Dubrajpur - Suiri – Rampurhat - Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 35, No. 55, No. 60A and No.117 [from Km. 22.76 to Km. 137.68 (from Joka to Bakhali)], No. 80, No. 81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 218, new National Highway No. 131A, new NH No. 133A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border – Fulbari –Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 317A (Bhutan-India border to Hasimara), new National Highway No. 327B (India- Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 419, new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (Mainaguri Changrabandha-Indo/Bangladesh border section) as are situated within the State of West Bengal.	Government of West Bengal"		

[F. No. NH-14013/12/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 3910 (E), dated the 12th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 3